माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम किए जाने के दृष्टिकोण से जारी पूर्व परिपत्रों के अतिरिक्त जारी परिपत्र संख्या 11/पीआई/2020 दिनांक 22.03.2020 में अधीनस्थ न्यायालयों हेतु प्रदत्त दिशा–निर्देश के संदर्भ में सहायक मार्गदर्शन

क्रमांक ::–

दिनांक :: 23.03.2020

1. केवल आवश्यक प्रकृति के प्रकरण वीडियो कॉन्फ्रेंस (VIDYO/whatsapp/skype or Voice Call एवं अन्य सुविधाजनक माध्यम द्वारा) से, अधिकृत अधिकारी के स्मार्ट फोन के माध्यम से अथवा NSTEP (Electronic Service of Process) के माध्यम से लिए जा सकेंगे।
2. आवश्यक प्रकरण एवं आवेदन संबंधित न्यायालय के आधिकारिक ई–मेल पते पर इस शर्त के अधीन लिए जायेंगे कि प्रकरण अथवा आवेदन की मूल प्रति नियमित रूप से न्यायालय कार्य करने के दिवस ही प्रस्तुत कर दिए जायेंगे। यह भी कि प्रस्तुतकर्ता को अपने प्रकरण अथवा आवेदन पर स्वयं के Whatsapp Number अथवा Skype Account Address और E-mail Address आवश्यक रूप से अंकित करना होगा अन्यथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा। संबंधित अधिकारीगण अपने Whatsapp नंबर उपलब्ध करवायेंगे।
3. सभी अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण अपना ई–मेल Address तुरन्त ही सूचना पट्ट पर व इलेक्ट्रोनिक माध्यम से Whatsapp अथवा Nstep के जरिये उपलब्ध करवायेंगे।
4. केवल प्रतिनियुक्त अधिकारीगण का वांछित न्यायालय स्टॉफ ही उपर्युक्त कार्य सम्पादन हेतु आहूत किया जायेगा तथा उनके बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से की जायेगी कि उनके मध्य पांच फुट की शारीरिक दूरी बनी रहे। प्रतिनियुक्त अधिकारीगण का शेष स्टॉफ की कार्यालय में उपस्थिति की वांछा नहीं रहेगी परन्तु वे कार्यालय समय में क्रमवार अपने आवास पर अपने सम्पर्क साधन को प्रारंभ रखते हुए उपलब्ध रहेंगे।
5. पीठासीन अधिकारी जिसे कि प्रतिनियुक्त किया गया है, वह प्रत्येक आदेश हस्ताक्षरित करते ही सीआईएस में अद्यतन करवाना सुनिश्चित करेगा।
6. जिला न्यायाधीश के रूप में प्रतिनियुक्त अधिकारीगण समस्त अधिकृत न्यायालयों से संबंधित वांछित सूचनाएं प्राप्त कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को निर्धारित समायावधि में प्रेषित करेंगे।
7. जिन पीठासीन अधिकारीगण को उपर्युक्त आशय हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है, वे केवल 2.00 से 4.00 पीएम तक ही केवल आवश्यक प्रकृति का कार्य न्यायालय में बैठकर सम्पादित करेंगे।
8. पूर्ववर्ती समस्त दिशानिर्देश जो इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व परिपत्रों में जारी किए गये हैं, भी निरन्तर प्रवर्तन में रहेंगे।
9. उपर्युक्त दिशा–निर्देश दिनांक 31.03.2020 अथवा आगामी आदेश तक प्रभाव में रहेंगे।
10. प्रत्येक न्यायालय में कम्प्यूटर में दक्ष कर्मचारी कार्यालय समय में उपलब्ध रहेगा, जो कि ई–मेल से प्राप्त प्रत्येक प्रकरण/ आवेदन को संबंधित प्रतिनियुक्त अधिकारी के समक्ष रखेगा। साथ ही उसके न्यायालय के अत्यावश्यक प्रकृति के पूर्व–नियत प्रकरण भी प्रतिनियुक्त अधिकारी के समक्ष पेश करेगा।
11. न्यायिक सेवा केन्द्र में फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन करने वाला लिपिक केवल आवश्यक मामलों को ही पंजीबद्ध करेगा।
12. सिस्टम ऑफिसर पूर्णरूपेण एवं उसके सहायक क्रमवार उपस्थित रहेंगे तथा प्रतिनियुक्त अधिकारीगण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट/ ई–मेल द्वारा प्राप्त निर्देशों एवं आदेशों की प्रति उपलब्ध करवायेंगे।
13. किसी भी न्यायिक अधिकारी अथवा कर्मचारीगण को मुख्यालय परित्याग हेतु अनुमत नहीं किया जायेगा।

...... लगातार पेज 2

14. उपर्युक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त आपातकालीन परिस्थितियों में प्रतिनियुक्त अधिकारीगण द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता श्री मदनलाल भाटी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर को उनके मोबाइल नंबर 8003395835 अथवा ई–मेल madan.bhati@aij.gov.in पर सूचित कर यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।
15. जिला न्यायालय प्रबंधक श्री अंकुर सहगल, (मोबाइल नंबर 9166789999) कार्यालय समय में उपलब्ध रहेंगे तथा वे प्रतिनियुक्त अधिकारीगण के निरंतर सम्पर्क में बने रहेंगे तथा उनके निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करेंगे। इसके अतिरिक्त श्री सहगल इस कार्यालय द्वारा जो दिशा–निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा प्रतिनियुक्त अधिकारीगण को उनसे अवगत करवायेंगे। श्री अंकुर सहगल अधिवक्तागण, कर्तव्यधीन न्यायिक स्टॉफ एवं पक्षकारों को प्रवेश द्वार संख्या 1 से सुलभता से प्रविष्ट करवाने के संबंध में पुलिस अधिकारीगण एवं होम गार्ड्स से सामजस्य बनायेंगे।
16. न्यायालय के अधिकारी एंव कार्मिक अपना आईडी कार्ड अपने पास रखेंगे तथा आवश्यकतानुसार उसका प्रस्तुतीकरण करेंगे।
17. बीकानेर न्यायक्षेत्र समस्त न्यायिककर्मी अधिकृत न्यायिक कार्मिक, अधिकृत प्रतिनियुक्त न्यायिक अधिकारीगण के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करेंगे एवं आहूत किए जाने पर उपस्थित रहेंगे।
18. प्रोटोकॉल अधिकारी व प्रोटोकॉल शाखाकर्मी, प्रतिनियुक्त न्यायिक अधिकारी के निर्देशानुसार आहूत करने पर अपने कर्तव्य निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बीकानेर ।

क्रमांक :– 2128 23/3/2020 दिनांक :– 23 मार्च, 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है ::–

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0–1/2/3/4/5/6/7, बीकानेर/कैम्प कोर्ट श्रीडूँगरगढ।
2. अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण) बीकानेर।
3. विशिष्ट न्यायाधीश अनु.जाति/अनु. जनजाति, (अ.नि.प्र), बीकानेर।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,बीकानेर
5. अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1/2/3/4, बीकानेर
6. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट. (रेलवे), बीकानेर।
7. विशिष्ट अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.(पीसीपीएनडीटी एक्ट कैसेज),बीकानेर।
8. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (किराया अधिकरण), बीकानेर।
9. किशोर न्याय बोर्ड, बीकानेर।
10. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डूँगरगढ़।
11. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लूनकरणसर।
12. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा।
13. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट.,बीकानेर।
14. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–3, बीकानेर।
15. अति.सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि0 संख्या–1/2/3, बीकानेर
16. विशिष्ट न्यायिक मजिस्टेट (एन.आई.एक्ट.प्रकरण) संख्या–1/2/3, बीकानेर
17. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खाजूवाला
18. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोलायत
19. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बीकानेर/कोलायत
20. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बीकानेर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त न्यायिक अधिकारियों को ई–मेल करे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
बीकानेर।